कार्यालय– प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झॉसी।

पत्रांक– 3082 / चिकित्सालय / मैन पावर / 2020–21, दिनांक– 20.6.2020

आवश्यक सूचना

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ के पत्र सं.– एम0ई0–1 / 2020 / 2026, दिनांक–17.06.2020 के तारतम्य में निकट भविष्य में कोविड रोगियो की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि के दृष्टिगत राजकीय महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झॉसी (लेवल–3) में मानक के अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन (स्टाफ नर्स, वार्ड ब्याय, सफाई कर्मी, डायलिसिस टैक्नीशियन / वेन्टीलेटर टैक्नीशियन / प्रशिक्षित मानव संसाधन आदि) उपलब्ध कराये जाने हेतु E.O.I (Expression of Intrest) के आधार पर वेण्डर, इम्पैनल करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक निविदादाता फर्म / वेंन्डर, जो उपरोक्त श्रेणी के मैन पावर की आपूर्ति करते हेतु इच्छुक है वे अपने प्रस्ताव, दिनांक– 27.06.2020 तक पंजीकृत डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित कर सकते है। आपूर्ति किये जाने वाले मैन पावर की संख्या, मरीजो की संख्या / आवश्कतानुसार निर्धारित की जायेगी। नियम व शर्ते कालेज की वेबसाइट– **www.mlbmcj.in** पर उपलब्ध है।

प्रधानाचार्य
म0ल0बा0 मेडिकल कालेज, झॉसी।

पत्रांक– 3082 / चिकित्सालय / मैन पावर / 2020–21, तद् दिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ।
3– वित्त नियंत्रक, म.ल.बा. मेडिकल कालेज, झॉसी।
4– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, म.ल.बा. मेडिकल कालेज, झॉसी।
5– सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण / अमर उजाला को इस आशय के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में कम से कम स्थान पर केवल एक वार (दिनांक– 21.06.2020 के संस्करण) डी.ए.बी.पी. दरो पर, प्रकाशित करते हुये, बीजक तीन प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
म0ल0बा0 मेडिकल कालेज, झॉसी।

कार्यालय– प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी।

सामान्य/आवश्यक शर्ते

1– आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर के ब्लैक लिस्टेड न होने का शपथ– पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2– आपूर्तिकर्ता फर्म /वेन्डर को किसी राजकीय मेडिकल कालेज या जिला चिकित्सालय में प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलबध कराये जाने का अनुभव प्रस्तुत करना होगा।

3– आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर द्वारा तैनात किये जाने वो मानव संसाधन को एन0एच0एम0 दर पर ही मानदेय का भुगतान किया जायेगा यह दर स्टाफ नर्स हेतु रू. 16373–00 प्रतिमाह, वार्ड ब्वाय हेतु रू. 8374–00 प्रतिमाह, सफाई कर्मी हेतु रू. 7613–00 प्रतिमाह तथा डायलिसिस टैक्नीशियन/वेन्टीलेटर टैक्नीशियन/प्रशिक्षित मानव संसाधन हेतु रू. 16376–00 प्रतिमाह की दर से होगी।

4– आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार शार्ट नोटिस पर मैनपावर उपलब्ध करानी होगी।

5– आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को अनुबन्ध के समय धरोहर/जमानत धनराशि रू. 1.00 लाख का एफ.डी.आर. प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, झाँसी के पक्ष में बन्धक हो, निर्गत कराते हुये, कार्यालय में जमा करनी होगी।

6– आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को आपूर्ति किये गये मैन पावर से सम्बन्धित समस्त औपारिक्तायें, (ई.पी.एफ. /ई.एस.आई. आदि समस्त कटौती आदि) स्वयं निर्वाहन करनी होगी एवं स्वयं नियमानुसार कर्मचारियो के खाते में जमा करायेगा।

7– आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर का ई.पी.एफ./ई.एस.आई. में पंजीयन होना अनिर्वाय होगा। जिसका साक्ष्य प्रस्ताव में प्रस्तुत करना होगा।

8– आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर द्वारा आपूर्ति किये गये मैन पावर से सम्बन्धित चरित्र सत्यापन/प्रशिक्षु अर्हता/शैक्षिक योग्यता आदि दस्तावेजो का स्वयं सत्यापन करना होगा, यदि किसी भी प्रकार की कोई कूटरचित दस्तावे या कोई कर्मचारी आपराधिक प्रवृति का पाया जाता है या इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर के विरूद्ध उचित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर का होगा।

9– विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी का होगा, जो सभी को मान्य होगा। न्यायिकाधिकार क्षेत्र झाँसी न्यायालय होगा।

10– आपूर्तिकर्ता फर्म /वेन्डर, कार्य को किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को स्थानान्तरति / सबलेट नही कर सकेगा।

11– मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित/मा0 न्यायालय में विचाराधीन अपराधिक मामले अथवा अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं/वेन्डर को निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी या इस सम्बन्ध में किसी अन्य माध्यम से, विभाग को सूचना प्राप्त होती है कि निविदादाता का कोई मामला मा0 न्यायालय में विचाराधीन है या निविदादाता का कोई अपराधिक रिकार्ड है तो तत्काल निविदादाता की निविदा/अनुबन्ध को निरस्त कर, विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

12– कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार कॉउन्सिल मे पंजीकृत हो उसे निविदा प्रकिया मे भाग लेने की अनुमति नही होगी।

13– ऐसी फर्म जो किसी शासकीय /स्वायत्तशासी संस्था द्वारा दंडित हो/काली सूची में डाल दी गयी हो अथवा काली सूची में डालने की कार्यवाही लम्बित हो, निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी। ऐसी फर्म जो मा0 न्यायालय द्वारा दंडित हो एवं मा0 न्यायालय में फर्म के विरूद्ध मामले लम्बित हो, निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नही होगी।

14– आपूर्तिकर्ता फर्म/वेन्डर को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा समय–समय पर जारी शानिर्देश/गाइड लाईन का पालन करना होगा।

15– – निविदादाता को आपूर्ति/कार्य के सापेक्ष कोई अग्रिम भुगतान नही किया जायेगा। आपूर्ति/कार्य का देयक तीन प्रतियो मे देना होगा जिसे यथा–शीध्र भुगतान कर दिया जोयेगा, वशर्ते कि बजट उपलब्ध रहे। भुगतान में बिलम्ब के कारण निविदादाता आपूर्ति/कार्य को नही रोकेगा। यदि ऐसा करेगा तो, उसे अनुबन्ध का उल्लंधन माना जायेगा। इसके साथ ही भुगतान के विलम्ब की स्थिति में किसी भी प्रकार के व्याज की मॉग, आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा नही की जायेगी।

(साधना कौशिक)
प्रधानाचार्य।